न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 15/2017 **दायरा दिनांक : 16.01.2017**

उनवान

1— देवीलाल आत्मज हरिसिंह, जाति धाकड, निवासी खांदलखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2— पूरीलाल आत्मज देवीलाल, जाति धाकड, निवासी खांदलखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

3— दिलीपचन्द आत्मज देवीलाल, जाति धाकड, निवासी खांदलखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

4— लालचन्द आत्मज देवीलाल, जाति धाकड, निवासी खांदलखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— पूरीलाल आत्मज केशूराम, जाति धाकड, निवासी खांदलखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

2— चुन्नीलाल आत्मज केशूराम, जाति धाकड, निवासी खांदलखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

3— गट्टूबाई पत्नी चुन्नीलाल, जाति धाकड, निवासी खांदलखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हुकम चन्द कुमावत अभिभाषक रेस्पोडेंट

की ओर से

निर्णय **दिनांक : 02.05.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 33/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम जसवंतपुरा में आराजी खाता संख्या नया 15 पुराना 107 खसरा नम्बर 291 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खाता संख्या नया 52 पुराना 54 खसरा नम्बर 307 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की है । अप्रार्थीगण की आराजी प्रार्थीगण की आराजी के दक्षिण दिशा में स्थित है । अप्रार्थीगण ताकतवर व्यक्ति है, आये दिन प्रार्थी को परेशान करते हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाये कि ताकत के बल पर कोई रास्ता कायम नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.05.2016 को स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि प्रकरण में रास्ते का प्रश्न विवादग्रस्त है जिसको सुनने का श्रवणाधिकार उपखण्ड अधिकारी

को नहीं है । तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र विचाराधीन है । तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया है, जो आवश्यक पक्षकार हैं । खसरा नम्बर 308 के खातेदार को पक्षकार बनाने पर अपीलांट के ऐतराज पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया गया है । अपीलांट का रास्ता खसरा नम्बर 307 और 291 की उत्तरी मेड़ पर से पूर्व में होता हुआ खसरा नम्बर 310 तक जाता है । इस रास्ते को बन्द करने का प्रयास किया है और विकल्प में खसरा नम्बर 307 के दक्षिण में से 5 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया है जिससे रेस्पोडेंट के ट्रेक्टर, बैलगाड़ी तथा कृषि उपकरण नहीं निकल सकते हैं और खसरा नम्बर 308 में से कभी भी रास्ता नहीं रहा था, इसलिए रेस्पोडेंट खसरा नम्बर 308 में से ही रास्ता मांगने में असमर्थ है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.11.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार के समक्ष धारा 251 का प्रार्थना पत्र लम्बित है । अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में सुनवायी का अधिकार नहीं था । चूंकि प्रकरण रास्ते से सम्बन्धित था जिसके बाबत कार्यवाही तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन है । अतः अपील

अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट ने नक्शा पेश किया है । नक्शे में किसी प्रकार का रास्ता नहीं है । नया रास्ता 251 के तहत कायम नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलांट को पाबन्द किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट के द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उनके खाते की आराजी से अपीलांट रास्ता निकालना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है, इसके जवाब में अपीलांटगण द्वारा यह कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 310 पर आने जाने का सनातनी रास्ता खसरा नम्बर 307 की उत्तरी मेड़ पर से होकर गट्टू बाई के खाते की आराजी खसरा नम्बर 251 की पूर्वी मेड़ पर से होकर है । प्रार्थीगण ने तार फेसिंग करके रास्ता अवरूद्ध कर रखा है । मौके पर खसरा नम्बर 307 तक रास्ता है । खसरा नम्बर 291 में तार फेसिंग कर प्रार्थी ने रास्ता बन्द कर दिया है । यह दर्शाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 308 की उत्तरी मेड़ पर से होकर तार फेसिंग करते समय खसरा नम्बर 307 की दक्षिण मेड पर 5–6 फिट चौड़ा रास्ता छोड़ कर तार फेसिंग की गई है, जबकि खसरा नमबर 308 में पहले से ही तार फेसिंग हो रही है । 5–6 फिट के रास्ते पर अप्रार्थी के ट्रेक्टर, कृषि सामान नहीं निकल सकते

हैं । धारा 251 के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है । रास्ते को अवरूद्ध कर गलत तथ्यों पर दावा पेश किया है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये ।

पत्रावली पर वादी की ओर से जमाबंदी सम्वत 2069–72 की फोटो प्रति पेश की है जिसमें खसरा नम्बर 307 की आराजी पूरीलाल और धूलीलाल के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति जमाबंदी सम्वत 2069–72 में गट्टू बाई के खाते में 291 खसरा नम्बर की आराजी दर्ज है। इसके अलावा अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण की प्रतियां भी पेश की गई है और सम्वत 2069–72 की खाता संख्या नयी 115 की जमाबंदी की फोटो प्रति भी पत्रावली में संलग्न की गई है । प्रार्थीगण का यह कथन है कि उनके खाते की आराजी में अप्रार्थीगण जबरन हस्तक्षेप कर रहे हैं और अप्रार्थी का यह कथन है कि उनका रास्ते के बाबत प्रार्थना पत्र तहसील में लम्बित है । प्रार्थीगण उनका रास्ता जो कदीमी रास्ता है, को बन्द करना चाहते हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 05.05.2016 से प्रार्थीगण की आराजी में मदाखलत मजाहमत न करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया है । रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने और नया रास्ता कायम नहीं करने हेतु भी पाबन्द किया है । पक्षकारों के मध्य धारा 251 के तहत रास्ते का विवाद लम्बित है इस कारण हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में इस सीमा तक संशोधन किया जाना आवश्यक समझते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में जारी किये गये अस्थायी निषेधाज्ञा के बावजूद तहसीलदार धारा 251 के तहत किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तहसीलदार के निर्णय पर बाध्यकारी नहीं होगा । तहसीलदार

गुणावगुण के आधार पर उनके यहां लम्बित प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र होगें ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

"कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी में हस्तक्षेप न करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाये । तहसीलदार उनके समक्ष लम्बित धारा 251 के प्रार्थना पत्र का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होगें । उनके निर्णय में इस प्रकरण में पारित निर्णय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा